To Remove the Villages from Dark Zone

*884. **Shri Dharam Singh Chhoker, M.L.A.:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that villages at riverside Yamuna falling under Samalkha Assembly Constituency have groundwater level at 50 feets;

b) whether it is also a fact that the abovesaid villages have been declared as dark zone by the Government; and

c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the said villages from dark zone togetherwith the details thereof?

Jai Parkash Dalal, Agriculture and Farmers Welfare Minister, Haryana

a) Yes, sir, there are 15 villages at riverside Yamuna falling in Samalkha Vidhan Sabha Constituency having water level upto 50.0 feet (~16.0 meters).

b) The Samalkha Vidhan Sabha Constituency comprises villages of Samalkha, Bapoli and Sanoli blocks. As per Ground Water Resource estimation as on 31.03.2017, Samalkha & Bapoli blocks are categorized under Over-Exploited category and declared as 'Notified Area' by Central Ground Water Authority (CGWA), New Delhi for regulation of groundwater.

c) As per instruction dated 24.09.2020 issued by Central Ground Water Authority, New Delhi there is no restriction for installation of tubewell for Agriculture purposes. Also the State Government through its notification dated 07.12.2020 has notified "The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020" for conservation, management and regulation of water resources i.e. ground water and surface water within the State. The Haryana Government vide notification dated 14.12.2020 under Section 3 of the said Act has established "The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and

Management) Authority". Further action for groundwater regulation and management in the State will be taken by Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority in terms of the provisions of the Act for the State including the villages of Samalkha, Bapoli and Sanoli blocks falling in the Samalkha Vidhan Sabha Constituency.

****

डार्क जोन से गांवों को हटाना

***884. श्री धर्म सिंह छोक्कर, एम.एल.ए.:** क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि समालखा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले यमुना नदी के किनारे के गांवों का भूमिगत जलस्तर 50 फुट पर है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि सरकार द्वारा उपरोक्त गांवों को डार्क जोन के रूप में घोषित किया गया हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त गांवों को डार्क जोन से हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा इसका ब्यौरा क्या है;

....

जय प्रकाष दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

क) जी हाँ, महोदय, समालखा विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे 15 गाँव हैं, जिनका जल स्तर 50.0 फीट (~16.0 मीटर) तक है।

ब) समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में समालखा, बापोली और सनोली खण्डों के गाँव शामिल हैं। भूजल संसाधन आंकलन 31.03.2017 के अनुसार समालखा और बापोली खण्डों को ओवर–एक्सप्लॉइट श्रेणी के तहत वर्गीकृत करते हुए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), नई दिल्ली द्वारा किया गया है भूजल के विनियमन के लिए ''अधिसूचित क्षेत्र'' घोषित किया गया है।

ग) केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्देश दिनांक 24.09.2020 के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए ट्यूबवेल की स्थापना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से राज्य के भीतर जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए "हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020" को अधिसूचित किया है। हरियाणा सरकार ने दिनांक 14.12.2020 की अधिसूचना के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण की स्थापना की है। समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समालखा, बापोली और सनोली ब्लॉक के गाँवों सहित राज्य में भूजल विनियमन और प्रबंधन के लिए आगे की कार्रवाई हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण द्वारा राज्य के लिए अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी।

****